



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 692 राँची, शुक्रवार, 3 अग्रहायण, 1945 (श०)
24 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

21 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-58/2022-24206 (HRMS)--श्री अनिल कुमार मिंज, झांप्र०से०
(कोटि क्रमांक-600/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को, लोहरदगा, सम्प्रति-निलंबित को निगरानी थाना कांड सं०-14/2022 में दिनांक 18.10.2022 को गिरफ्तार कर दिनांक 19.10.2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, राँची द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 12.12.2022 को विभाग में योगदान दिया गया है ।

2. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-18717(HRMS), दिनांक 31.01.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 18.10.2022 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा हिरासत से मुक्त के उपरांत श्री मिंज के योगदान देने की तिथि दिनांक 12.12.2022 से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

3. श्री मिंज द्वारा निलंबन से मुक्त करने के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि निलंबन के फलस्वरूप उनके तथा उनके परिवार को कठोर आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी विधवा माता लिवर की समस्या एवं हृदय रोग से ग्रसित है। आर्थिक कारणों से अपने पत्नी का भी ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। फलस्वरूप अत्यधिक मानसिक तनाव में हैं। उक्त प्रकरण में उन्हें निराधार शिकायत के आधार पर झूठे तरीके से फंसाया गया है। धावा दल के द्वारा ट्रेपिंग के लिए आवेदन कर्ता अजाद अंसारी के स्थान पर असफाक अंसारी (पूर्व अपराधी) का उपयोग किया गया है, जबकि ये किसी भी योजना से संबंधित व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसके द्वारा प्रखण्ड कर्मियों एवं आम लोगों से भयादोहन कर राशि वसूलने का कार्य किया जाता है एवं उसके विरुद्ध किस्को थाना कांड सं-24/20 भी दर्ज है ।

4. श्री मिंज द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री अनिल कुमार मिंज, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-600/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को, लोहरदगा, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

(ख) श्री मिंज के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं०-14/2022 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम न्याय निर्णय के पश्चात् की जायेगी ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension on period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ANIL KUMAR MINJ (110021274214)	DIV COMMISSIONER OFFICE SOUTH CHHOTANAGPUR	DIVISIONAL COMMISSIONER SOUTH CHOTANAGPUR RANCHI (RANCHI)	Under Suspension	श्री अनिल कुमार मिंज, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-600/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, किस्को, लोहरदगा, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	21/09/2023	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
